राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	306/2016	ईश्वर सिंह	1. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), झुन्झुनू। 2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
2.	308/2016	सत्यवीर सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), झुन्झुनू।

आदेश की दिनांक : 08.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 306/2016 ईश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.09.1985 के द्वारा हुई थी एवं अपीलार्थी ने अपनी सेवाएं दिनांक 12.09.1985 को प्रारम्भ की। अपीलार्थी को नियमित पे–स्केल दिया गया। अपीलार्थी अस्थायीरूप से नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाएं स्क्रिनिंग के पश्चात 1989 से नियमित की गयी। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 12.09.1985 से गणना करते हुए द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की अस्थाई नियुक्ति विकास अधिकारी पंचायत समिति लुनकरणसर द्वारा आदेश दिनांक 05.09.1985 के द्वारा केवल 6 माह के लिए तदर्थ अस्थाई संत्रात तक के लिए नियुक्ति की गई। अपीलार्थी नियमित नियुक्ति से ही सेवा संबधित लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी होने से उक्त अपील सारहीन और निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। मुख्य

कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद झुंझुनू द्वारा दिनांक 07.02.1989 के द्वारा अपीलार्थी का चयन कर वर्ष के परीविक्षा काल पर नियुक्ति दी गई उक्तानसार अपीलार्थी उक्त नियमित नियुक्ति से ही सेवा संबधित समस्त लाभ परिलाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकारी होने से उक्त अपील मय कोस्ट निरस्त योग्य है। अपीलार्थी विधि अनुसार नियमित नियुक्ति/स्क्रीनिंग पश्चात् पारित आदेशो के अनुसार ही दिनांक 07.12.1989 से सेवा संबधित समस्त लाभ परिलाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी होने से उक्त अपील मय कोस्ट के काबिल निरस्त योग्य हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम् जगदीश नारायण चतुर्वेदी मे पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी स्थायीकरण तिथि/नियमित नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपीलार्थी विधि अनुसार देय परिलाभ स्वीकार एवं अंगीकार करते हुए सेवा से सेवानिवृत हुआ है और बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लम्बे बिलम्ब बाद बिना और बिलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यो के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की उक्तानुसार अपील अपीलार्थी मय कोस्ट निरस्त योग्य है, जो निरस्त फरमाई जावे।

4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की अस्थाई नियुक्ति दिनांक 12.09.1985 को हुई थी, जो 6 माह के लिये की गयी थी। अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड में यह भी उल्लेख है कि अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति आदेश दिनांक 07.12.1989 के द्वारा दी गयी थी एवं उस समय अपीलार्थी को दो वर्ष के लिये परीविक्षाधीन रखा गया था। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

> "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
>
> (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
>
> (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
>
> (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
>
> (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

> 37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.
>
> 38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.
>
> 39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.
>
> 40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.
>
> 41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. अतः बिन्दू संख्या–1 व 4 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारिख नहीं हो सकती।
6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं 07.12.1989 चयन प्रक्रिया के बाद नियमित की गई, उसकी पूर्व की सेवाओं को अपीलार्थी वरिष्ठता व अन्य लाभ के लिए अपनी सेवा अवधि में नहीं जुड़वा सकता है।

अतः अपीलार्थी को जो नियमितिकरण की दिनांक 07.12.1989 से नियमित मानते हुए उसी दिनांक से वरिष्ठता दी गई, उसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अपील संख्या 308/2016 में भी नियमितिकरण की दिनांक से वरिष्ठता व समस्त लाभ दिये गये है, जो उचित है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण की अपीलों में कोई बल नहीं होने से अपीलें खारिज की जाती हैं।
8. मूल आदेश अपील संख्या 306/2016 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति अपील संख्या 308/2016 में रखी जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)